<u>उच्च न्यायालय , बिलासपुर (छ.ग.)</u>

डब्ल्यू.पी. क्र 2503/2003

<u>याचिकाकर्ता</u> - केडिया कैसल डेलन

इंडस्ट्रीज लिमिटेड

केडिया नगर, कुम्हारी-490042

जिला दुर्ग (छ.ग.) पंजीकृत

कार्यालय 6-बी एक्सप्रेस टावर्स, 42 ए,

शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता-700017

<u>विरुद्ध</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>प्रत्यारती</u> -

1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा प्रमुख सचिव

वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी)

छत्तीसगढ़ राज्य डी.के.एस. भवन, मंत्रालय

रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आबकारी आयुक्त,

छत्तीसगढ़ राज्य,

रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. कलेक्टर,

रायपुर (छत्तीसगढ़)

4. कलेक्टर,

दुर्ग (छत्तीसगढ़)

5. कलेक्टर,

राजनांदगाव (छत्तीसगढ़)

6. कलेक्टर,

महासमुंद (छत्तीसगढ़)

7. कलेक्टर,

धमतरी (छत्तीसगढ़)

8. कलेक्टर,

कोरबा (छत्तीसगढ़)

9. कलेक्टर,

जांजगीर - चांपा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत समुचित प्रमाण पत्र और निषेध आदि रिट जारी करने तथा अन्य रिट और निर्देशों हेतु याचिका:

<u>उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़</u>

<u>रिट याचिका क्र 2503/2003</u>

केडिया कैसल डेलिओन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- विरुद्ध-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं आठ अन्य

---

19 जुलाई 2004 को आदेश हेतु पोस्ट ।

सही /-

एल. सी. भादू

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़</u>

<u>रिट याचिका क्र. 2503/2003</u>

केडिया कैसल डेलिओन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- विरुद्ध-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं आठ अन्य

उपस्थित: -

श्री कनक तिवारी, अधिवक्ता: याचिकाकर्ता के लिए

एन.के.अग्रवाल, उप महाधिवक्ता: राज्य/उत्तरदातागण के लिए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>समक्ष माननीय श्री एल.सी. भादू, न्यायाधीश</u>

<u>आदेश</u>

<u>(19 जुलाई, 2004 को पारित)</u>

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी आयुक्त (उत्तरदाता क्र. 2) द्वारा जारी दिनांक 23.05.2001 के आदेश/परिपत्र की वैधता और औचित्यता पर सवाल उठाया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को उत्तरवादीगण द्वारा तय की गई नियम और शर्तें पर उसके द्वारा आपूर्ति की गई देशी शराब की सीलबंद बोतलों पर होलोग्राम/स्टिकर लगाने के लिए कहा गया था, इस आधार पर कि उक्त आदेश विधि की दृष्टि में दोषपूणर् है और निविदा/लाइसेंस शर्तों के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.08.2003 के आदेश को भी चुनौती दी है जिसके तहत याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. इस रिट याचिका को दायर करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमन प्रमाणपत्र के तहत विधिवत रूप से निगमित है। याचिकाकर्ता कंपनी शराब, स्प्रिट और अन्य मादक द्रव्यों के आसवन/निर्माण में प्रवृत्त है, जो इसकी अपनी

भट्टियों में आसुत किया जाता हैं। तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के आबकारी आयुक्त ने कुछ नियमों और शर्तों पर सीलबंद बोतलों में देशी स्प्रिट की बोटलिंग और आपूर्ति के लिए 7.3.2000 को निविदा आमंत्रण नोटिस (एन.आई.टी) जारी किया था, जो अनुलग्नक पी-2 में उद्धृत हैं। उक्त एन.आई.टी के जवाब में, याचिकाकर्ता ने 1.4.2000 से 31.3.2002 तक की लाइसेंस अवधि के लिए प्रतिस्पर्धी दरों का हवाला दिया और याचिकाकर्ता की निविदा 31 मार्च, 2000 के आदेश के अनुसार स्वीकार कर ली गई। उत्तरदाता राज्य के उक्त स्वीकृति पत्र में यह सम्मिलित किया गया था कि लाइसेंस मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़) आबकारी अधिनियम, 1915 में निहित वैधानिक निर्देशों तथा ऐसे वैधानिक निर्देशों के अनुरूप वैधानिक नियमों और अन्य कार्यकारी अनुदेशों के अधीन होगा, जिन्हें उक्त एनआईटी में संलग्न शर्तों के साथ पढ़ा जाएगा। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने सीलबंद बोतलों में देशी शराब की आपूर्ति जारी रखी। हालांकि, 23.5.2001 के आदेश/परिपत्र के जरिए उत्तरवादी आबकारी आयुक्त ने रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद जिलों के कलेक्टरों के माध्यम से याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि उत्तरवादी राज्य ने फैसला किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा लाइसेंसधारी के रूप में देशी शराब वाली सीलबंद बोतलों पर दिए गए विवरण के होलोग्राम/स्टिकर उक्त पत्र में निहित अन्य शर्तों के अनुसार चिपकाए जाएंगे, उक्त पत्र में निहित अन्य शर्तों के अनुसार, जिसमें उल्लिखित दरों पर ऐसे होलोग्राम/स्टिकर की आपूर्ति का भी प्रावधान था, जिसका मूल्य/प्रतिफल दिए गए आबकारी मदों में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा।आपेक्षित आदेश कार्यकारी आदेश के माध्यम से शक्ति का एक छद्म प्रयोग है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि वह न केवल उपरोक्त पत्र के कारण हैरान था, बल्कि उसने इस तरह के अनुचित वित्तीय दायित्व के अधिरोपित किए जाने लगाए जाने का विरोध भी किया। याचिकाकर्ता मौखिक रूप से विरोध करता रहा और पहली बार दिनांक 20.11.2002 को एक पत्र भेजा, लेकिन उत्तरवादियों ने पत्र का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और अंततः याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 3.3.2003 को उत्तरवादियों को एक विधिक नोटिस भेजा गया। इस बीच, उत्तरवादियों ने दिनांक 5.3.2002 को फिर से लाइसेंस अवधि दिनांक 1.4.2002 से 31.3.2004 के लिए एन.आई.टी. जारी की, ताकि उक्त एनआईटी में बताए गए आपूर्ति क्षेत्रों में सीलबंद बोतलों के माध्यम से देशी शराब की आपूर्ति की जा सके। पुनः, याचिकाकर्ता ने

निविदा प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 30 मार्च, 2002 के आदेश के अनुसार स्वीकार कर लिया गया। इस एनआईटी में भी, दिनांक 23.5.2001 के कार्यकारी निर्देशों में संशोधित नियमों और शर्तों के रूप में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, जो दिनांक 1.4.2000 से 31.3.2002 की अवधि के लिए एन.आई.टी. के नियमों और शर्तों की पुनरावृत्ति मात्र थे।

4. याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को अनुबंध की शर्तों और प्रावधानों से अलग एक शर्त शामिल करके उत्तरवादियों द्वारा अनुबंध की भावना के विरुद्ध दबाव और अनुचित प्रभाव डाला गया है, क्योंकि उत्तरवादि लाइसेंसकर्ता के रूप में इस तरह के अनुचित नियम और शर्तें तय करने की कमज़ोर स्थिति में हैं, क्योंकि उनके पास थोक या खुदरा के माध्यम से देशी शराब की बिक्री के संबंध में आबकारी व्यापार का एकाधिकार भी है। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी आबकारी आयुक्त को फिर से एक पत्र दिनांक 9.7.2003 को भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। याचिकाकर्ता को रु. 2,08,40,111/- का नुकसान हुआ है, जो उत्तरवादियों से वसूला जाना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादी राज्य ने राज्य के भीतर विदेशी शराब के थोक वितरण और नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बेबरेज कार्पोरेशन निगमित को शामिल किया है। निगम द्वारा याचिकाकर्ता जैसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली विदेशी शराब युक्त सीलबंद बोतलों पर होलोग्राम/स्टिकर चिपकाने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया है और ऐसे होलोग्राम/स्टिकर की लागत याचिकाकर्ता द्वारा वहन करने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता को इसके लिए कोई वित्तीय व्यय/दायित्व वहन करने की आवश्यकता नहीं है और होलोग्राम/स्टिकर देशी शराब या विदेशी शराब या बीयर आदि युक्त सीलबंद बोतलों पर चिपकाए जाने के लिए एक जैसे हैं, सिवाय स्पष्ट कारणों से उनके रंग में अंतर के। यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्यारती राज्य लाइसेंसकर्ता यानी अनुबंध करने वाले पक्ष के रूप में व्यवसाय करते समय लाइसेंसधारी के रूप में याचिकाकर्ता के साथ समान स्तर पर है और ऐसी स्थिति में पक्षों के बीच सीलबंद बोतलों के माध्यम से देशी शराब की आपूर्ति की कोई भी शर्त उत्तरवादीयों द्वारा नहीं बदली जा सकती है। उत्तरवादी अपनी सफलता की फसल नहीं काट सकते यदि वे अपनी इच्छा से याचिकाकर्ता द्वारा देशी शराब की आपूर्ति की

शर्तों का उल्लंघन करते हैं, भले ही कानून द्वारा उचित रूप से इसकी गारंटी न दी गई हो। प्रत्यारती राज्य को याचिकाकर्ता की जानकारी या सहमति के बिना आपूर्ति के किसी भी नियम व शर्त में परिवर्तन करने पर प्रतिबन्ध है। अंततः, दिनांक 23.5.2001 के आक्षेपित परिपत्र को रद्द करने और चार्ट अनुलगनक पी-13 के अनुसार निर्धारित/ वर्णित राशि की वापसी करने के निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई है।

6. राज्य/उत्तरवादी की ओर से जबाब दाखिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आबकारी आयुक्त ने दिनांक 23.5.2001 को अनुलग्नक पी-4 के अनुसार देशी शराब की बोतलों के साथ-साथ विदेशी शराब की बोतलों पर भी होलोग्राम लगाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। याचिकाकर्ता ने बिना किसी आपत्ति के इस अधिसूचना का पालन किया। उक्त अधिसूचना दिनांक 1.4.2000 से 31.3.2002 तक के पूर्व अनुबंध की अवधि के दौरान जारी की गई थी। बाद में इसे 2002-2003 की आबकारी नीति में शामिल कर लिया गया। उक्त अधिसूचना देशी शराब के साथ-साथ विदेशी शराब पर भी लागू है तथा थोक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को खर्च उठाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अनुबंध की दूसरी अवधि दिनांक 1.4.2002 को शुरू हुई तथा दिनांक 31.3.2004 को समाप्त हुई, अर्थात दो वर्षों के लिए। जिस तिथि को याचिकाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई थी, उस समय याचिकाकर्ता, जो पहले से ही देशी शराब की बोतलों पर होलोग्राम लगाने के लिए खर्च उठा रहा था, वह अच्छी तरह से जानता था कि उसे वर्तमान अनुबंध के लिए खर्च उठाना होगा। इसलिए, अब अनुबंध अवधि समाप्त होने के कगार पर, वह देशी शराब की बोतलों पर होलोग्राम लगाने की विधि और प्रक्रिया तथा इस पर उसके द्वारा किए गए व्यय को चुनौती नहीं दे सकता। यहां तक कि विबंधन के सिद्धांत के अनुसार भी वह ऐसे व्यय को चुनौती नहीं दे सकता। होलोग्राम चिपकाने का सरकार का उक्त निर्णय केवल यह पहचान करने के लिए है कि बोतल में रखी गई शराब वैध स्रोत से आई है, और साथ ही यह दिखाने के लिए कि यह शुल्क अदा किया गया है, और शराब की तस्करी पर रोक लगाने तथा अन्य पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को रोकने के लिए है।

7. जबाब में आगे उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिलों में से पांच जिलों में अपनी खुद की भट्टियों में आसवित शराब का आपूर्तिकर्ता है और यदि पांच जिलों की मांग उसकी भट्टियों में आसवित न की गई तस्करी और अवैध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शराब से पूरी होती है, तो वह अंतिम रूप से पीड़ित है और इसलिए याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए होलोग्राम प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं उठाया गया कदम, याचिकाकर्ता को इसके विरुद्ध व्यय वहन करना आवश्यक है। होलोग्राम लगाना छत्तीसगढ़ देशी मदिरा नियम, 1995 के नियम 14 (xiv) (घ) के साथ-साथ नियम 4 (13) के अंतर्गत देशी मदिरा की बोटलिंग की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, आबकारी आयुक्त को देशी मदिरा की बोतलों की बोटलिंग, सीलबंदी और लेबलिंग से संबंधित समय-समय पर निर्देश देने की पर्याप्त शक्ति है। छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड विदेशी मदिरा का भी आपूर्तिकर्ता है जैसे याचिकाकर्ता देशी मदिरा का आपूर्तिकर्ता है। विदेशी शराब की बोतलों पर होलोग्राम लगाने के लिए होने वाला खर्च राज्य द्वारा नहीं, बल्कि निगम द्वारा वहन किया जाता है। शराब का व्यापार मौलिक अधिकार नहीं है और याचिकाकर्ता को अधिनियम, नियम, अधिसूचना और आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के तहत संचालन के लिए केवल लाइसेंस जारी किया जा रहा है। याचिकाकर्ता सीलिंग शुल्क के बदले 2 रुपये प्रति बोतल वसूल रहा है, जिसमें बोतल बंद करने की कीमत भी शामिल नहीं है, जिसे अलग से आकलित किया जाता है और खुदरा विक्रेताओं से वसूला जाता है। देशी शराब की बोतलों को सील करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किया गया एकमात्र खर्च 2 रुपये प्रति बोतल नहीं है, बल्कि यह बहुत कम है। याचिकाकर्ता को बोतलों को सील करते समय होलोग्राम सहित सभी शुल्कों के लिए लगभग 1.50 रुपये प्रति बोतल का खर्च उठाना पड़ रहा है। निवेदन किया गया कि याचिका को किया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. मैंने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री कनक तिवारी और राज्य/प्रत्यारतीयों के उप महाधिवक्ता श्री एन.के. अग्रवाल का पक्ष सुना है।

9. श्री कनक तिवारी ने तर्क दिया कि दिनांक 7 मार्च, 2000 की निविदा की नियम व शर्तों की शर्त क्र. 6 (viii) के अनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 1.8.2000 से रु. 2.25 प्रति नग की निर्धारित दर पर कांच की बोतलों की बॉटलिंग, लेबलिंग और पिल्फर प्रूफ कैप द्वारा सीलिंग करना आवश्यक था और इन नियम व शर्तों में होलोग्राम/स्टिकर लगाना शामिल नहीं था और याचिकाकर्ता को दिनांक 23.5.2001 के आक्षेपित आदेश/परिपत्र द्वारा होलोग्राम/स्टिकर लगाने के लिए कहा गया था। इन

होलोग्राम के लिए, आबकारी आयुक्त के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को धनराशि का भुगतान करने की आवश्यकता है और साथ ही उसे होलोग्राम लगाने के लिए श्रम शुल्क भी वहन करने की आवश्यकता है, जिसके लिए उसे भुगतान नहीं किया जा रहा है जो निविदा की उपरोक्त शर्तों के विपरीत है। आबकारी आयुक्त को कोई अधिसूचना/परिपत्र जारी करने का अधिकार नहीं था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को निविदा की शर्तों और नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यय करने के लिए बाध्य किया जा सके। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता लेबलिंग, सीलिंग आदि के लिए जो व्यय कर रहा था, याचिकाकर्ता खुदरा वितरकों से उस राशि को वसूलने का हकदार था, जबकि, जहां तक होलोग्राम शुल्क का संबंध है, याचिकाकर्ता वह व्यय कर रहा है और वह खुदरा विक्रेताओं से उस लागत को वसूलने का हकदार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी शराब की बोतलों पर उसी तरह के होलोग्राम चिपकाए जाते हैं, जिसके लिए याचिकाकर्ता को वह व्यय मिल रहा है और जबकि, देशी शराब की बोतलों पर उसके द्वारा चिपकाए गए होलोग्राम के लिए याचिकाकर्ता राशि वसूलने का हकदार नहीं है। इसलिए, यह मनमाना और निविदा की शर्तों और नियमों का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.वेरिगाम्टो नवीन विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य (2001) 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 344 में दिए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलेन लेते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जहां प्राधिकारी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करता है और उसने अपनी वैधानिक शक्ति का अतिक्रमण किया है और ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए नियमों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है या उसका निर्णय विपरीत है या उसने कोई तर्कहीन आदेश पारित किया है, तो याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत का हकदार है और प्रत्यारती आबकारी आयुक्त ने दिनांक 23.5.2001 के आदेश/परिपत्र जारी करते समय वैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया है, इसलिए, आक्षेपित आदेश के खिलाफ आबकारी आयुक्त की प्रशासनिक कार्रवाई व न्यायिक पुनरीक्षण के लिए याचिकाकर्ता की याचिका पोषणीय है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता सी.एस.1 लाइसेंस धारक है और छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 62(2)(एच) के अंतर्गत अधिनियमित छत्तीसगढ़ देशी मदिरा नियम, 1995 के तहत फार्म सी.एस.1 की शर्त क्रमांक 1 के अनुसार, आबकारी आयुक्त को वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने या

समय-समय पर सहायक आदेश और निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, इसलिए, आबकारी आयुक्त ने वैधानिक शक्ति के तहत आदेश जारी किया है, इस प्रकार याचिका विचारणीय है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अनुबंध अवधि 2000-2002 और 2002-2004 के दौरान होलोग्राम/स्टिकर चिपकाने की शर्त निविदा की शर्तों के शर्त क्रमांक 6 (viii) में शामिल नहीं की गई थी, जबकि 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2006 तक की अवधि के लिए होलोग्राम चिपकाने की शर्त को उसी शर्त में शामिल किया गया है। इससे ही पता चलता है कि याचिकाकर्ता को पिछली अवधि के दौरान अपने खर्च पर होलोग्राम लगाने की आवश्यकता नहीं थी।

11.दूसरी ओर, विद्वान उप महाधिवक्ता श्री एन.के. अग्रवाल ने तर्क दिया कि प्रथम दृष्टया निविदा सूचना दिनांक 7 मार्च, 2000 की शर्त संख्या 9 के अनुसार, राज्य सरकार अपने विवेकानुसार शर्त क्र. 6 (viii) में उल्लिखित शुल्क, शर्त क्र. 6 (ix) में उल्लिखित जमा राशि की दरें तथा शर्त क्र. 6 (x) में उल्लिखित बोतलों में आपूर्ति के अनुपात को अनुबंध अवधि के चालू वर्ष के दौरान परिवर्तित करने का अधिकार रखती है तथा उक्त शुल्क सफल निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक पर बंधनकारी होंगे। इसके तहत, शासकीय नीति के अनुसार, आबकारी आयुक्त ने आरोपित आदेश/परिपत्र जारी किया तथा अनुलग्नक आर-1 के अनुसार, राज्य सरकार ने 2002-2003 के लिए आबकारी नीति जारी की। आबकारी नीति की धारा 13 के अंतर्गत, सरकार ने आबकारी शुल्क के संग्रह को सुनिश्चित करने तथा अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए बोतलों पर होलोग्राम/स्टिकर का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने 7 मार्च, 2000 की निविदा की शर्त क्र. 6 (viii) के अनुसार 2000-2002 की अवधि के दौरान बोतलों पर लेबलिंग और सीलिंग के लिए 2.25 रुपये प्रति बोतल और उसके बाद भी शुल्क वसूल कर लिया है। याचिकाकर्ता प्रति बोतल का लेबलिंग, सीलिंग और होलोग्राम लगाने सहित कुल व्यय रु. 1.50 से अधिक नहीं था। इसलिए, याचिकाकर्ता ने स्वयं इस आदेश/परिपत्र को स्वीकार कर लिया और अनुबंध अवधि 2000-2002 के दौरान उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। जब यह विशेष परिपत्र अस्तित्व में था, याचिकाकर्ता को अच्छी तरह से पता था कि 2002-2004 की अवधि के दौरान भी उसे होलोग्राम लगाने की आवश्यकता होगी और उसने बिना किसी आपत्ति के समान नियम और शर्तों को स्वीकार कर लिया और केवल पहली बार, उसने दिनांक 20.11.2002 को आपत्ति जताई, जो कि दिनांक 1.4.2002 से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31.3.2004 तक की अवधि के दौरान है, इस प्रकार याचिकाकर्ता किसी भी वसूली का हकदार नहीं है। इसलिए, यदि याचिकाकर्ता कंपनी के लिए कोई भी बिंदु था, तो उसने अपना अधिकार छोड़ दिया है। विद्वान उप महाधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यह विवाद अनुबंध की शर्तों और नियमों से संबंधित है, इसलिए, स्थापित विधि के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, पोषणीय नहीं है। इसके अलावा, अब अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और राहत खंड के अनुसार याचिकाकर्ता ने राहत मांगी है कि प्रत्यारतीयों को वसूली गई राशि वापस करने का निर्देश दिया जाए। ऐसी सभी राहतं। सिविल वाद के तहत दी जा सकती हैं, रिट अधिकारिता के तहत नहीं।

12.अब इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या विवाद पक्षों के बीच संविदात्मक मामले की शर्तों और नियमों की व्याख्या से संबंधित है या यह किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा वैधानिक शक्ति के प्रयोग का प्रश्न है, इस संबंध में स्थापित विधि यह है कि संविदा से संबंधित विवादों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नहीं उठाया जा सकता है। <u>उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य विरुद्ध ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (1996) 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस 22</u> में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> "सबसे पहले, पक्षों के बीच अनुबंध व्यक्तिगत विधि के दायरे में एक अनुबंध है। यह एक वैधानिक अनुबंध नहीं है। यह अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों या, शायद, माल की बिक्री अधिनियम के कुछ प्रावधानों द्वारा शासित है। इस तरह के अनुबंध की शर्तों और नियमों की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद को रिट याचिका में नहीं उठाया जा सकता, और उठाया भी नहीं जा सकता था। यह या तो अनुबंध द्वारा प्रदान की गई मध्यस्थता या न्यायालय के लिए मामला है, जैसा मामला हो। क्या अनुबंध के तहत अपीलकर्ता-सरकार से उत्तरवादी को कोई राशि देय है और यदि हां, तो कितनी राशि और आगे का सवाल यह है कि सरकार द्वारा किसी भी राशि का भुगतान करने से रोकना या मना करना उचित है या नहीं, ये सभी ऐसे मामले हैं जिन्हें रिट याचिका में उठाया या उन पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। रिट याचिका में प्रार्थना, अर्थात, सरकार को रिट याचिकाकर्ता के बिल(ओं) से एक विशेष राशि काटने

से रोकना एक प्रार्थना नहीं थी जिसे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा सकता था।

दिद्वतीयतः , क्या अनुबंध की शर्तों के अर्थ में विधि में बदलाव के कारण वैधानिक दायित्व में कमी आई है, यह फिर से रिट याचिका में उठाया जाने वाला मामला नहीं है। यह फिर से अनुबंध की शर्तों की व्याख्या से संबंधित मामला है और इसे व्यवहार न्यायालय के मध्यस्थ के समक्ष उठाया जाना चाहिए, जैसा मामला हो।"

13.एक अन्य मामले में, <u>केरल राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य विरुद्ध कुरियन ई. कलाथिल और अन्य, (2000) 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस 293</u> में रिपोर्ट किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा माना कि

"अनुबंध में किसी खंड की व्याख्या और कार्यान्वयन रिट याचिका का विषय नहीं हो सकता। अनुबंध में वास्तविक भुगतान की परिकल्पना की गई है या नहीं, यह अनुबंध के निर्माण का प्रश्न है। यदि अनुबंध की कोई शर्त उल्लंघन होने पर, सामान्यतः उपचार अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका नहीं है। कोई अनुबंध केवल इसलिए वैधानिक नहीं हो जाता कि यह सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण के लिए है और इसे एक वैधानिक निकाय द्वारा प्रदान किया गया है।

एक कानून स्पष्ट रूप से या निहित रूप से किसी वैधानिक निकाय को अनुबंध करने की शक्ति प्रदान कर सकता है ताकि वह अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो सके। ऐसे अनुबंधों की शर्तों या कथित उल्लंघनों से उत्पन्न विवाद को अनुबंध के विधि के सामान्य सिद्धांतों द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। यह तथ्य कि समझौते के पक्षों में से एक वैधानिक या सार्वजनिक निकाय है, अपने आप में लागू किए जाने वाले सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेगा।"

14.<u>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विरुद्ध गंगा एंटरप्राइजेज और अन्य, (2003) 7 सुप्रीम कोर्ट केस 410</u> में रिपोर्ट मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि "अनुबंधों से संबंधित विवादों को अनुच्छेद 226 के तहत नहीं उठाया जा सकता है"। यह भी माना गया कि क्या प्रस्ताव की शर्तों के बारे में विवाद मामले के संविदात्मक पहलू से संबंधित विवाद है जिसमें रिट कोर्ट उचित मंच नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15.इस मुद्दे पर उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर गौर करें, तो याचिकाकर्ता का मामला यह है कि होलोग्राम/स्टिकर लगाना दिनांक 7 मार्च, 2000 के टेंडर नोटिस की शर्तों और नियमों की शर्त क्र. 6 (viii) के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, आबकारी आयुक्त का दिनांक 23 मई, 2001 का आक्षेपित आदेश/परिपत्र उपरोक्त खंड/शर्त के दायरे में नहीं आता है और वास्तव में यह याचिकाकर्ता पर अतिरिक्त भार अधिरोपित करता है। जबकि, दूसरी ओर, विद्वान उप महाधिवक्ता का तर्क यह है कि विवाद मुख्य रूप से और मुख्य रूप से टेंडर की शर्तों और नियमों की व्याख्या से संबंधित है और इसलिए, यह मामले के संविदात्मक पहलू के बारे में विवाद से संबंधित है और आबकारी आयुक्त का आक्षेपित आदेश/परिपत्र कुछ और नहीं, बल्कि अनुबंध की शर्तों और नियमों की शर्त क्र. 6 (viii) को दोहराना है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि निविदा सूचना की शर्त क्र. 9 के अनुसार आबकारी आयुक्त को ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार है। दिनांक 7 मार्च, 2000 की निविदा सूचना की शर्त क्र. 9 इस प्रकार है: -

> "राज्य सरकार अपने विवेकानुसार, शर्त क्र. 6 (viii) में उल्लिखित शुल्क, शर्त क्र. 6 (ix) में उल्लिखित जमा राशि की दरें तथा शर्त क्र. 6 (x) में उल्लिखित बोतलों में आपूर्ति के अनुपात को अनुबंध अवधि के दौरान परिवर्तित कर सकती है तथा उक्त परिवर्तन सफल निविदाकर्ता/लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होंगे।"

इसलिए, इस धारा के तहत भी आबकारी आयुक्त को शासकीय निर्णय के अनुसार उक्त आक्षेपित आदेश/परिपत्र जारी करने का अधिकार था, जिसका उल्लेख आदेश में ही किया गया है। विद्वान उप महाधिवक्ता ने आगे तर्क दी कि अवधि समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता निर्धारित राशि की वापसी की मांग कर रहा है, जो केवल सिविल वाद के माध्यम से ही किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.इसलिए, संबंधित अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्कों के मद्देनजर, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्राथमिक और मुख्य रूप से यह मामला दिनांक 7 मार्च, 2000 की निविदा सूचना की शर्तों की शर्तों क्र. 6 (viii) और 9 की व्याख्या से संबंधित है, और होलोग्राम/स्टिकर लगाने में याचिकाकर्ता द्वारा पहले से ही खर्च की गई निश्चित राशि की वसूली से संबंधित है और यह वैधानिक प्राधिकारी यानी आबकारी आयुक्त द्वारा

वैधानिक शक्ति के प्रयोग से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, इस आधार पर, रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पोषणीय नहीं है। याचिकाकर्ता के लिए उचित उपचार व्यवहार न्यायालय की शरण लेना है।

17.इन परिस्थितियों में याचिका खारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

सही
एल. सी. भादू
न्यायामूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By .....Priyanshu Gupta